सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 02, शुक्रवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 24, 2025
Kartika 02, Friday, Saka 1947- October 24, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(वृत बारां)

अधिसूचना

बारां, अक्टूबर 07, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पनुव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

Rajkaj 18158820 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा Construction of 2 Lane Railways over bridge in lieu of LC No.36 at Nalka phatak in baran का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी भूमि अवाप्ति की स्वीकृति श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक F.7(02)/A&F/Sec.II/2024-25/D-215 दिनांक 30.12.2024 द्वारा राशि रू. 4500.00 लाख की जारी की गई है। जिससे आरओबी का निर्माण किया जाना है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान कस्बा बारां में भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क.सं.	जिला	तहसील	ग्राम
1	बारां	बारां	बारां

परियोजना हेतु नियमानुसार समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अरबन सड़क एवं आरओबी निर्माण के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए कस्बा बारां का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमिअर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण को प्रारूप रिपोर्ट की जावेगी।

2प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में सम्बन्धित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।

4 सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवो में सम्बन्धित नगरपरिषद् के परामर्श से की जावेगी।

5 सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।

6 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्कसूत्रः–

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां जिला बारां
xenpwd_baran@yahoo.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां जिला बारां
श्री भंवर लाल महावर
मो.9414887135

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां जिला बारां
xenpwd_baran@yahoo.com

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।